Present

अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा

के

नियम तथा विनियम

1. संस्था का नाम :

इस संस्था का नाम "अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा" होगा। महासभा से तात्पर्य "अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा" से होगा।

2. संस्था का पूरा पता:

17, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001, इसके अतिरिक्त अध्यक्ष एवं महामंत्री के निवास पर भी उसका कार्यालय होगा।

3. कार्य क्षेत्र:

महासभा का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत में होगा।

4. सदस्यता:

क। सदस्य - तेली जाति का प्रत्येक वयस्क पुरुष या स्त्री जो महासभा के उद्देश्यों तथा नियमों को स्वीकार करते हुए जाति सुधार के कार्यों में भाग लेने को तैयार हो और एक रुपया वार्षिक चन्दा दे - इस महासभा का सदस्य बन सकता है।

ख। संरक्षक - जो सज्जन इस महासभा को कम से कम 5,001/- रुपये (पांच हजार एक रुपये) देंगे वे इसके संरक्षक समझे जायेंगे।

~~ग। आजीवन सदस्य - जो सज्जन इस महासभा को 501/- रुपये (पांच सौ एक रुपये) एकमुश्त देंगे वे महासभा के आजीवन सदस्य होंगे।~~

नोट: संरक्षकों तथा आजीवन सदस्यों को महासभा की कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित होने तथा वोट देने का अधिकार होगा।

घ। सक्रिय सदस्य:

1। विशेष वार्षिक सदस्य - जो व्यक्ति महासभा को 101/- रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देंगे।

2। वार्षिक सदस्य - जो व्यक्ति महासभा को 51/- रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देंगे।

5. सदस्यता की समाप्ति:

निम्नलिखित किसी भी आधार पर महासभा की सदस्यता समाप्त मानी जायेगी:-

क। जब सदस्य की मृत्यु हो जाए।

2। जब सदस्य स्वयं ही त्यागपत्र दे दे।

ग। जब सदस्य ~~निर्धारित समय पर~~ चन्दा न जमा करे।

घ। जब कोई सदस्य अनुचित कार्य/व्यवहार करे जो प्रबन्ध कारिणी (कार्यकारिणी) समिति के मत में महासभा के हित में न हो।

.....2

5. सामान्य सभा : मुख्यसभा के सभी सदस्य – संरक्षक, आजीवन, विशेष वार्षिक सक्रिय सदस्य एवं वार्षिक सक्रिय सदस्य – सामान्य सभा के सदस्य होंगे ।

5.1 सामान्य सभा के अधिकार एवं कर्तव्य : : (क) मुख्यसभा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रबंध कारिणी समिति को सुझाव देना तथा उनके क्रियान्वयन में सहयोग देना (ख) (i) प्रबंध कारिणी का निर्वाचन करना, (ii) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों/सदस्यों के निर्वाचन को बहुमत से अनुमोदन देना, (ग) मुख्यसभा के वार्षिक आय-व्यय को स्वीकार करना, (घ) प्रतिवर्ष एक बार बैठक आयोजित करना ।

5.2 सदस्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार : मुख्यसभा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैठकों में तथा निर्वाचन में भाग लेना और सुझाव देना ।

5.3 सामान्य सभा की सूचना तथा गणपूर्ति : सामान्य सभा की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों की एक-तिहाई होगी । बैठक की सूचना बैठक की तारीख से । माह पूर्व डाक द्वारा दी जायेगी । विशेष बैठक की सूचना 20 दिन पूर्व दी जायेगी ।

6. प्रबंधकारिणी समिति :

अध्यक्ष – 1
उपाध्यक्ष – 2
संगठन मंत्री – 2
~~सेवा परीक्षक – 2~~
कार्यकारी अध्यक्ष – 1
मंत्री – 1
कोषाध्यक्ष – 1

प्रबंधकारिणी समिति मुख्यसभा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन करेगी ।

6.1 निर्वाचन एवं उसकी प्रणाली : प्रबंध कारिणी के पदाधिकारियों/सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति बहुमत से करेगी और सामान्य सभा बहुमत से उसका अनुमोदन करेगी ।

प्रबंधकारिणी का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 2 वर्ष का होगा ।

6(क) महासभा का संगठन:

महासभा के संगठन में निम्नलिखित संस्थाएं होंगी:-

1. अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा की आम सभा ।
2. अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा की कार्यकारिणी समिति ।
3. महासभा के किसी भी अधिवेशन की स्वागत कारिणी समिति ।
4. स्थानीय, जिला तथा प्रान्तीय सभाएं ।
5. नवयुवक सभाएं ।
6. महिला सभाएं ।
7. स्नेही समाज ।

7(ख) महासभा के अधिवेशन:

(क) महासभा का वार्षिक अधिवेशन उन तिथियों तथा स्थानों पर हुआ करेगा जिसकी स्वीकृति पूर्व अधिवेशन अथवा महासभा की कार्यकारिणी समिति द्वारा मिल गई हो ।

(ख) विशेष आवश्यकता होने पर महासभा का विशेष अधिवेशन महासभा की कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत होने पर हो सकता है ।

नोट: यदि कार्यकारिणी समिति को आमन्त्रित करने का समय न हो तो उस दशा में अध्यक्ष अपने विशेष अधिकारों द्वारा अधिवेशन की स्वीकृति दे सकते हैं ।

8. स्थानीय सभाएं:

एक ही ग्राम या ग्राम-समूह, कस्बा अथवा नगर के रहने वाले दस या दस से अधिक सदस्य महासभा के अन्तर्गत स्थानीय सभा बना सकते हैं । पहले से बनी सभाएं भी महासभा से सम्बद्ध हो सकती हैं । सभी सम्बद्ध स्थानीय सभाएं 25/- रूपये सम्बद्ध शुल्क महासभा को प्रतिवर्ष देंगी ।

9. जिला तथा प्रान्तीय सभाएं:

एक जिले के इलाके में जितनी स्थानीय सभाएं होंगी वे मिल कर जिला भर की एक जिला सभा का संगठन करेंगी, एक प्रान्त के इलाके में जितनी जिला सभाएं होंगी वे मिलकर एक प्रान्तीय सभा का संगठन करेंगी । महासभा से सम्बद्ध होने के लिए जिला सभा 50/- रूपये एवं प्रान्तीय सभा 200/- रूपये शुल्क देंगी । प्रत्येक स्थानीय, जिला तथा प्रान्तीय सभाओं का कर्तव्य होगा कि वे महासभा के उद्देश्यों, नियमों, निर्णयों तथा निर्देशों का पालन और प्रचार करेंगी। वे सभी सभाएं महासभा की अभिन्न अंग होंगी ।

10. स्थानीय, जिला तथा प्रान्तीय सभाओं का महासभा से सम्बन्ध:

महासभा से सम्बद्ध सभाएं महासभा के नियमों का उल्लंघन न करते हुए अपने व्यवहार के लिए अलग नियम बना सकती हैं । महासभा के महामंत्री के पास उक्त नियमावली की दो प्रतियां भेज कर महासभा द्वारा स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी ।

11. स्वागत समिति:

(क) उस स्थान में जहां महासभा का वार्षिक अधिवेशन होना निश्चित हुआ है स्थानीय सभा के संरक्षण में एक स्वागत समिति अधिवेशन की निश्चित तिथि से कम से कम दो माह पूर्व बनाई जाएगी जिसका कर्तव्य महासभा के अधिवेशन तथा प्रतिनिधियों के सत्कार का प्रबन्ध करना होगा ।

....3

यह समिति स्थानीय स्वजातियों तथा बाहर से आये हुए दर्शकों और प्रतिनिधियों को यदि चाहे तो सहभोज भी दे सकती है ।

(ख) स्वागत समिति के सदस्य उसी राज्य के होंगे जिस राज्य में महासभा का अधिवेशन होगा । समिति के सदस्यों में से ही समिति के पदाधिकारी निर्वाचित होंगे ।

(ग) स्वागत समिति को अपने सदस्यों की फीस की रकम निश्चित करने का अधिकार होगा ।

(घ) स्वागत समिति आवश्यकतानुसार अपने राज्य से अधिवेशन हेतु विशेष चन्दा एकत्र कर सकती है ।

(ङ) महासभा की कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति पर स्वागत समिति आवास और भोजन प्रबन्ध के लिए दर्शकों तथा प्रतिनिधियों की फीस लगा सकती है ।

(च) अधिवेशन के समाप्त होने के बाद दो माह के अन्दर स्वागत समिति अधिवेशन की रिपोर्ट, उसके आय-व्यय का विवरण आदि प्रकाशित करा देगी और उसकी एक-एक प्रति महासभा के अध्यक्ष और महामंत्री के पास भेज देगी ।

(छ) अधिवेशन समाप्त होने पर जो धन अधिवेशन में खर्च करने के उपरान्त शेष बचेगा उसमें से 50 प्रतिशत स्थानीय सभा को, 25 प्रतिशत प्रान्तीय सभा को और 25 प्रतिशत अ० भा० महासभा को स्वागत समिति अधिवेशन होने के तीन मास के अन्दर अवश्य भेज देगी । उक्त धन उक्त सभाओं के संयुक्त कोष में जमा रहेगा ।

(ज) स्वागत समिति अधिवेशन के आय-व्यय का हिसाब यदि अधिवेशन होने के तीन मास के अन्दर अ० भा० महासभा के महामंत्री और अध्यक्ष के पास न भेजे तो अ० भा० महासभा को अधिकार होगा कि जैसा उचित समझे उक्त हिसाब की जांच और शेष धन की वसूली के लिये कार्यवाई करे ।

12. महासभा के प्रतिनिधियों की सूची:

प्रत्येक स्थानीय सभा का कर्तव्य होगा कि महासभा अधिवेशन में जाने वाले अपने प्रतिनिधियों की सूची दो सप्ताह पूर्व स्वागत समिति तथा महासभा के महामंत्री के पास भेज दे ।

13. महासभा के प्रतिनिधियों का प्रवेश और अधिकार:

(क) प्रत्येक प्रतिनिधि को अपनी स्थानीय सभा के प्रमाण पत्र या महासभा के मंत्री के हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र दिखलाने पर महासभा के अधिवेशन में प्रतिनिधि स्वरूप सम्मिलित होने का प्रवेश पत्र या चिह्न मिलेगा ।

(ख) केवल प्रतिनिधियों को ही महासभा के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होगा ।

14. महासभा के प्रतिनिधि :

(क) स्थानीय तथा जिला सभाओं द्वारा प्रति 10 सभासदों पर चुने हुए एक प्रतिनिधि ।

.....4

(ख) स्वागत समिति अपने सदस्यों में से 10 सदस्य विषय निर्धारिणी समिति के लिये चुनेगी ।

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधि से प्रतिनिधि शुल्क के रूप में 5 रुपये लिया जायेगा । यह रकम महासभा फंड में जमा की जाएगी ।

15- विषय निर्धारिणी समिति

नियम नं0 14 के अनुसार चुने गए व्यक्ति विषय निर्धारिणी समिति के सदस्य समझे जाएंगे । महासभा के अध्यक्ष ही इसके सभापति होंगे । अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति में बैठक के कार्य संचालन हेतु किसी सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं या वि0नि0 समिति किसी को चुन सकती है । समिति का कोरम 25 सदस्यों का होगा । कोरम पूरा न होने पर समिति की बैठक 3 घंटे के लिए स्थगित कर दी जाएगी और 3 घंटे के बाद समिति की बैठक फिर हो सकती है और इसमें कोरम का विचार न किया जाएगा । इस समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव ही महासभा के खुले अधिवेशन में प्रस्तुत किये जा सकते हैं । कोई प्रस्ताव जो किसी कारणवश वि0नि0 समिति में पेश न किया जा सका हो और जिसे फिर वि0नि0 समिति के समक्ष पेश करने का मौका न हो उस दशा में महा मंत्री की अनुमति तथा अध्यक्ष की आज्ञा से खुले अधिवेशन में पेश किया जा सकता है अथवा कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक तक के लिये स्थगित किया जा सकता है ।

विषय निर्धारिणी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को खुले अधिवेशन में बहुमत द्वारा ही स्वीकृत माना जाएगा ।

16- महासभा के पदाधिकारी एवं निर्वाचन

महासभा के कार्य संचालन के निमित्त निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

(1) अध्यक्ष - महासभा के अधिवेशन के सभापति ही उस वर्ष के अध्यक्ष होंगे । सभापति का निर्वाचन कार्यकारिणी समिति के सदस्यों तथा महासभा से सम्बद्ध संस्थाओं के बहुमत से होगा । सम्बद्ध सभाओं का लिखित [illegible] महामंत्री को इस उक्त निर्वाचन हेतु आहूत कार्यकारिणी [illegible] पूर्व [illegible] जाना चाहिए ।

(2) कार्यकारी अध्यक्ष - राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति महासभा के कार्य को सुचारू रूप से एवं संविधानिक चलाने के लिये उपाध्यक्षों में से या अन्य व्यक्तियों में से दो या दो से अधिक कार्यकारी अध्यक्षों का चुनाव करेगी जिसका अनुमोदन महासभा के अधिवेशन में होगा ।

(3) उपाध्यक्ष - उसी वर्ष के अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष, नवयुवक सम्मेलन के सभापति तथा महिला सम्मेलन की अध्यक्षा पदेन उपाध्यक्ष होंगे । इनके अतिरिक्त प्रांतीय सभाओं के अध्यक्ष महासभा के पदेन उपाध्यक्ष होंगे । राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए [illegible] उपाध्यक्षों का चुनाव [illegible] अनुमोदन महासभा में उपस्थित प्रतिनिधियों में होगा ।

-----5.

14. महामंत्री - महासभा के अध्यक्ष ही महामंत्री को मनोनीत करेंगे ।

15. मन्त्री - उसी वर्ष के अधिवेशन के स्वागत महामंत्री, नवयुवक सम्मेलन के महामंत्री व महिला सम्मेलन की महामंत्राणी तथा प्रान्तीय सभाओं के महामंत्री महासभा के पदेन होंगे ।

16. संगठन मंत्री - अध्यक्ष मंत्रियों में से या अन्य कोई व्यक्तियों में से दो या दो से अधिक संगठन मंत्री नियुक्त कर सकते हैं ।

17. कोषाध्यक्ष - महासभा के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष को मनोनीत करेंगे ।

18. आय-व्यय परीक्षक - सदस्यों में से दो आय-व्यय परीक्षक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त किये जाएंगे ।

नोट:- अध्यक्ष द्वारा नियुक्त/मनोनीत पदाधिकारियों का अनुमोदन आगामी कार्यकारिणी समिति में होगा और वाद में महासभा अधिवेशन में होगा।

17. महासभा के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य

क. अध्यक्ष - महासभा के वर्तमान अधिवेशन से लेकर उसके अगले अधिवेशन के पूर्व तक महासभा के अध्यक्ष रहेंगे । महासभा की कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समस्त उपसमितियों के वे सभापति रहेंगे । मतदाताओं की संख्या समान होने पर (In case of a tie) अपने विशेषाधिकार द्वारा वे अपना निर्णायक मत (Casting Vote) दे सकते हैं । महासभा के नीति निर्धारण तथा सम्पूर्ण कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर होगा जिसके लिए वे समय-समय पर आवश्यक निर्देश महामंत्री तथा अन्य पदाधिकारियों को देते रहेंगे ।

ख. कार्यकारी अध्यक्ष - महासभा के कार्य संचालन में अध्यक्ष को यथोचित मदद करना ही उनका प्रमुख कार्य होगा । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी समिति या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कार्यकारी अध्यक्ष महासभा का कार्य संचालन करेंगे । कार्यकारी अध्यक्ष महासभा के अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करेंगे ।

ग. उपाध्यक्ष - अध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी समिति अथवा अध्यक्ष जिस उपाध्यक्ष को नियुक्त करेंगे वे अध्यक्ष का कार्य संचालन करेंगे । सभी उपाध्यक्ष महासभा के हर कार्य में अध्यक्ष को सहयोग करेंगे ।

घ. महामंत्री - महासभा के कार्यों की देख-रेख करना, महासभा की ओर से पत्र-व्यवहार करना, महासभा सम्बन्धी सब कागज-पत्रों को संभाल कर रखना, बैठकों की रिपोर्ट लिखना, महासभा के सब कार्यकर्ताओं को कार्यरत रखना, महासभा के आय-व्यय का हिसाब रखना एवं महासभा के प्रस्तावों को कार्य रूप में परिणत करना महामन्त्री का कार्य होगा । महामंत्री 200/- तक किसी एक समय में खर्च कर सकते हैं । अधिक की आवश्यकता पर 500/- तक अध्यक्ष की स्वीकृति लेकर खर्च कर सकते हैं । 500/- से अधिक खर्च के लिए महासभा की कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति लेना आवश्यक है परन्तु सम्मानार्थ या इसी तरह के कोई

----6

अन्य कारणवश कार्यकारिणी की बैठक न बुलाई जा सके तो इस दशा में कार्यकारिणी के सदस्यों की स्वीकृति पत्र द्वारा मंगाई जा सकती है । सभी खर्च का पूरा विवरण कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत कर स्वीकृत कराना होगा ।

।ङ। मंत्री - महामंत्री के आदेशानुसार उनकी आधीनता में कार्य करेंगे । महामंत्री यदि किसी कारणवश कार्य नहीं कर सकते या अवकाश ग्रहण करें तो उनके स्थान पर कोई भी मंत्री या कार्यकारिणी समिति का सदस्य जिसको अध्यक्ष नियुक्त करें - वे महामंत्री का कार्य कर सकते हैं ।

।च। संगठन मंत्री - महासभाओं की विभिन्न शाखाओं का संगठन एवं एकीकरण करना और महासभा के उद्देश्यों, कार्यक्रमों, योजनाओं आदि का प्रचार कार्य होगा । संगठन मंत्री, करना संगठन मंत्री का महामंत्री की सलाह से कार्य करेंगे ।

।छ। कोषाध्यक्ष - महासभा के प्राप्त धन को कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित बैंक में जमा करना और अध्यक्ष अथवा महामंत्री के लिखित आदेशानुसार देना ।

।ज। लेखा परीक्षक - समय-समय पर आय-व्यय का निरीक्षण करना तथा अध्यक्ष एवं महामंत्री को उसकी रिपोर्ट देना ।

18- राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति : अधिकार, कर्तव्य, गठन प्रक्रिया एवं बैठकों की सूचना

महासभा के कार्यों का प्रबन्ध करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें 150 सदस्य होंगे । प्रत्येक राज्य से अधिक से अधिक 10 सदस्य होंगे जिनमें से 5 सदस्यों को राज्य संगठन द्वारा मनोनीत करेगा । अभाव में एवं राज्य संगठन द्वारा मनोनीत न किये जाने पर महासभा के अधिवेशन में उस राज्य से आए प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव होगा । प्रत्येक राज्य से शेष 5 सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष एवं महामंत्री द्वारा किया जाएगा ।

महासभा के समस्त पदाधिकारी, सदस्य आजीवन सदस्य भी इसके सदस्य होंगे । कार्यकारिणी समिति में 25 सदस्यों का कोरम होगा । इसकी बैठक साल में तीन बार हुआ करेगी । (आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की आनुमति लेकर महामंत्री और भी बैठकें आमंत्रित कर सकते हैं ।) यदि किसी बैठक में कोरम पूरा न हो तो कमेटी की बैठक स्थगित कर दी जाएगी और 3 घण्टे के बाद फिर बैठक की जाएगी जिसमें उक्त कोरम का कुछ खयाल न किया जाएगा लेकिन इस प्रकार स्थगित की गई कार्यकारिणी समिति की बैठक में कम से कम 10 सदस्यों का होना आवश्यक है । विशेष आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारिणी समिति महासभा का विशेष अधिवेशन आमन्त्रित कर सकती है । किसी विशेष कार्य के लिए अपने सदस्यों तथा विशेष गुण रखने वाले अन्य स्वजातीय भाइयों को मिलाकर उप-समिति नियुक्त कर सकती है । प्रचार कार्य या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए कमीशन अथवा डिपुटेशन नियुक्त कर सकती है । कार्यकारिणी की बैठक की सूचना महामंत्री सदस्यों के पास कम से कम 15 दिन पूर्व भेज देंगे ।

टिप्पणी -

1- कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को महासभा का कम से कम 51 रु० का वार्षिक सदस्य होना आवश्यक है ।

2. आवश्यकतानुसार अध्यक्ष अथवा महामंत्री महासभा के किसी भी सदस्य को विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यकारिणी की बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित कर सकते हैं परन्तु ऐसे सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

3. कार्यकारिणी समिति का कार्य महासभा के उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार एवं निर्वाह करना, आय-व्यय को पास करना तथा महासभा के अन्य निर्णयों को कार्य रूप में परिणत करना है ।

4. किसी पदाधिकारी का स्थान रिक्त होने पर कार्यकारिणी समिति को उसकी पूर्ति करने का अधिकार होगा जिसका अनुमोदन महासभा अगली [illegible] में (स्थायी पदाधिकारी के) अनिवार्य होगा।

5. अध्यक्ष को महासभा के कार्य से कहीं जाने पर मार्ग व्यय महासभा के फण्ड से दिया जा सकता है । कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं अन्य मंत्रियों को अध्यक्ष की पूर्व अनुमति पर महासभा के कार्य से कहीं जाने के लिए मार्ग व्यय आदि महासभा के कोष से दिया जा सकता है ।

19. विशेष नियम :

(क) महासभा के सभी पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्य उस समय तक पदासीन रहेंगे जब तक उनके स्थान पर नव निर्वाचन नहीं हो जाता ।

(ख) यदि किसी समय कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसका निर्वाह इस नियमावली के किसी भी नियम से [illegible] तो उस अवस्था विशेष के आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी समिति को और यदि कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना संभव नहीं तो अध्यक्ष को उचित निर्णय देने के लिए विशेष अधिकार होगा ।

20. महासभा का आर्थिक वर्ष :

महासभा का आर्थिक वर्ष हर साल एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा ।

21. आवश्यकता तथा सुविधानुसार अखिल भारतीय तैलिक वैश्य नव युवक सभा तथा महिला सभा भी इस महासभा के अन्तर्गत संस्थापित हो सकती है और ऐसी अवस्था में महासभा के कुल नियम नव युवक सभा तथा महिला सभा पर लागू होंगे और महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति ही यथार्थ में नव युवक तथा महिला सभा का ध्येय होगा ।

22. महासभा और उसके अन्तर्गत नव युवक तथा महिला सभा का आर्थिक कोष एक ही रहेगा तथा उपर्युक्त अधीनस्थ सभाओं का आवश्यक खर्च उनके सभापति, अध्यक्ष एवं दोनों सभाओं के मंत्रियों की प्रार्थना पर महासभा के महामंत्री देंगे । अधीनस्थ महिला तथा नव युवक सभाओं द्वारा एकत्र धन महासभा के कोष में जमा हो जाएगा ।

23. नव युवक सभा के अध्यक्ष और महिला सम्मेलन एवं सभा की अध्यक्षा महासभा के पदेन उपाध्यक्ष होंगे ।

.....8

24. महासभा के किसी भी नियम का उल्लंघन न करते हुए महिला तथा नव युवक सभाएं अपने व्यवहार के लिए अपना पृथक नियम बना सकती हैं जिसकी स्वीकृति महासभा अध्यक्ष एवं महामंत्री से लेना अनिवार्य है ।

25. विद्या प्रचारार्थ महासभा का एक 1,00,000/- रूपये (एक लाख रूपये) के स्थायी कोष का निर्माण होगा। यह रूपया स्टेट बैंक अथवा किसी दूसरे बैंक या बैंकों में जैसा कार्यकारिणी समिति निश्चय करे - महासभा के नाम से अध्यक्ष/महामंत्री/कोषाध्यक्ष द्वारा जमा किया जाएगा और इनमें से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाला जाएगा । इसके सूद (ब्याज) से ही स्वजातीय गरीब छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी । इसके मूलधन को किसी भी अवस्था में किसी को खर्च करने का अधिकार न होगा ।

26. अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही महासभा छात्रवृत्तियों की संख्या निश्चित करेगी । मैट्रिक क्लास तक के स्वजातीय गरीब छात्रों/छात्राओं को 25/-रूपये तक मासिक तथा मैट्रिक से ऊपर कालेज में पढ़ने वाले छात्रों/छात्राओं को 50/-रूपये तक मासिक छात्रवृत्ति दी जा सकती है ।

27. महासभा अपने स्वजातियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करेगी और इसके लिए विद्यालय, महाविद्यालय, संस्था, संस्थान आदि की स्थापना करेगी ।

28. स्मृति पत्र में अंकित उद्देश्यों एवं उपर्युक्त नियमों/विनियमों में परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार कार्यकारिणी समिति को होगा जिसकी पुष्टि वार्षिक अधिवेशन द्वारा आवश्यक होगी किन्तु स्थायी कोष को सुरक्षित रखते तथा महासभा को प्रगतिशील रखकर सदैव उन्नतिशील बनाने के ध्येय से स्थायी कोष संबंधी नियम सदैव अपरिवर्तनशील हैं और रहेंगे । महासभा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या अन्य व्यक्तियों से ऋण ले सकती है ।

29. न्यायालय संबंधी सभी मुकदमें महासभा की कार्यकारिणी समिति जिन्हें नियुक्त करे, उनके हस्ताक्षर से दायर होंगे और पैरवी की जाएगी ।

30. महासभा की सभी चल एवं अचल सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व महासभा की कार्यकारिणी समिति को होगा । महासभा की किसी सम्पत्ति का क्रय विक्रय व रेहन करने या उसके सम्बन्ध में कोई अनुबंध (Contract) व निर्णय करने का पूर्ण अधिकार कार्यकारिणी समिति को होगा जो दो तिहाई उपस्थित सदस्यों की स्वीकृति से पास हो सकता है ।

31. महासभा का धन उस बैंक के सेविंग्स बैंक अकाउण्ट में जमा होगा जिसे कार्यकारिणी समिति निश्चित करे । इसका संचालन अध्यक्ष/महामंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा ।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति महासभा के उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, महासभा के कार्यों के सुचारू रूप से एवं शीघ्रता से संचालन तथा क्रियान्वयन के लिए "महासभा समाचार" पत्रिका प्रकाशित करेगी । इसके अतिरिक्त अपने महान स्वजातियों की जीवनी, प्रेरणा, समाज सुधार संबंधी विचार एवं उद्बोधन के साहित्य का प्रकाशन करेगी । महासभा समाचार का वार्षिक शुल्क रु 25/- होगा । ये आजीवन सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी/प्रान्तीय इकाई/जिला अधिवेशनों में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे । ये सुविधा केवल आजीवन सदस्यों को ही प्राप्त होगी ।

33. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति महासभा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय, आवास व्यवस्था, अतिथि गृह, शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों आदि के लिए "महेश्वरी भवन" या किसी महान स्वजातीय पुरूष के नाम पर भवन का निर्माण करेगी ।

34. आय के स्त्रोतों एवं राशि का सदुपयोग - महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति एवं उक्त कार्यों की स्थापना में उक्त राशि का सदुपयोग किया जाएगा । इसके लिए स्वजातियों एवं अन्यों से अतिरिक्त दान भी लिया जा सकता है ।

35- संस्था की समाप्ति - स्मृति पत्र के उद्देश्यों से स्पष्ट है कि इसका विघटन कभी नहीं होगा । उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात यदि इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई तो इसका विघटन समिति पंजीयन नियम 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार किया जाएगा ।

36. संस्था के स्मृति पत्र में संशोधन समिति पंजीयन कानून 1860 की धारा 12 व 12 ए के अनुसार किया जाएगा ।

37- प्रति वर्ष रजिस्ट्रार सोसायटीज के कार्यालय [illegible] पदाधिकारियों की सूची पंजीयन कानून 1860 की धारा [illegible] के अनुसार [illegible] जाएगी ।

38. समिति पंजीयन कानून 1860 के समस्त प्रावधान [illegible] संस्था पर लागू होंगे ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह [illegible] नियमों तथा विनियमों की सत्य प्रतिलिपि है ।

(अध्यक्ष)

(सचिव)

(कोषाध्यक्ष)

(महामंत्री)

S17781

REGISTRAR OF SOCIETIES

REGISTRAR OF SOCIETIES
DELHI

Certified to be true Copy

Registrar of Society Delhi

अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम :

इस संस्था का नाम "अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा" होगा ।

2. संस्था का कार्यालय

संस्था का केन्द्रीय कार्यालय - 17 नाथे स्वेन्यू, नई दिल्ली-110001 में होगा ~~इसके अतिरिक्त अध्यक्ष तथा महामंत्री के निवास पर भी उसका कार्यालय होगा ।~~ ~~महासभा से तात्पर्य "अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा" से होगा।~~

3. कार्य क्षेत्र :

~~सब~~ महासभा का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत में होगा ।

4. उद्देश्य :

1. स्वजातीय बन्धुओं में शिक्षा प्रचार एवं प्रसार तथा उनके निर्वाह का उपाय करना ।
2. स्वजातीय सभी शाखाओं तथा उपशाखाओं को एकता तथा संगठन के सूत्र में बांधना ।
3. स्वजातीय बन्धुओं की आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक, शारीरिक, वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना ।
4. स्वजातीय बन्धुओं द्वारा ~~कुरीतियों~~ को ग्रहण तथा कुरीतियों और कुसंस्कारों को दूर करना ।
5. स्वजातीय महिला समाज में जागृति पैदा कर आदर्श कन्या, आदर्श बधू, आदर्श माता तथा आदर्श समाज सेविका बनाना ।
6. स्वजातीयों में विभिन्न उद्योग-धन्धों का प्रचार तथा उन्नति करना ।
7. ऊँच-नीच की भावना को समाप्त कर सभी जातियों को समानता का अधिकार दिलाना । अपनी जाति को अन्य जातियों से उच्च या नीचा न समझने की भावना पैदा करना ।
8. भाषा एवं राज्यगत संकीर्णता को दूर कर राष्ट्रीयता एवं भारतीय भावना जागृत करना तथा परस्पर भ्रातृभाव एवं सद्भाव की प्रतिष्ठा करना और अन्तर्प्रादेशिक विवाहों को प्रोत्साहन देना ।
9. स्वजाति में परस्पर स्नेह तथा सहयोग की भावना के प्रसार के लिए नगरों और कस्बों में "स्नेही समाज" की स्थापना करना ।
10. भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से चल रही स्वजातीय संस्थाओं को महासभा से सम्बद्ध करना ।
11. विभिन्न स्थानों की स्वजातीय सम्पत्ति का अपने संरक्षण में सुप्रबन्ध करना ।
12. समभाव, सद्भाव एवं सहिष्णुता का प्रसार करना एवं अन्य समुदाय के गरीबों की सहायता करना ।
13. मानवीय मूल्यों के विकास में सहयोग देना ।
14. कर्म एवं व्यवसाय में पवित्रता एवं नैतिकता को अपनाने के लिए प्रचार करना ।
15. राष्ट्र की रक्षा एवं देशवासियों के संवर्धन को अपना राष्ट्रीय दायित्व मानना ।

.....2

16. समाज एवं संगठन को यथा-शक्ति आर्थिक एवं बौद्धिक सहायता देने की भावना का प्रसार करना ।

17. "सर्वे भवन्तु सुखिन:" :- इस जीवन दर्शन के लिए उदार वातावरण तैयार करने में सहयोग देना ।

5. प्रबन्धकारिणी

प्रबन्धकारिणी समिति के वर्तमान सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय एवं पद जिन्हें सन् 1860 के 21 वीं समितियां, पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र प्रशासित क्षेत्र दिल्ली में विस्तार किया गया है - महासभा के संचालन की व्यवस्था सौंपी गई है :

क्रमांक	नाम एवं पता	व्यवसाय	महासभा में पद
1.	डॉ. आई. एल. नरसैया, 11/37 कृष्ण नगर करनूल (आन्ध्र प्रदेश)	मेडिकल प्रोफेशन	अध्यक्ष
2.	श्री संतोष कुमार साहू । संसद सदस्य। ~~173, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली - 11~~ । 5, सत्य नगर, भुवनेश्वर-7, उड़ीसा।	कृषि	कार्यकारी अध्यक्ष
3.	श्रीमती केसरबाई धीरसागर । संसद सदस्य। ~~51, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली - 11~~ । मु. पो. बीड , महाराष्ट्र ।	कृषि	उपाध्यक्ष
4.	श्री मंगुमल साहू, 437 गली माता वाली, तेलीवाडा, दिल्ली - 110006	व्यवसाय	उपाध्यक्ष
5.	श्री शान्ताराम पोत दुबे । संसद सदस्य । ~~17, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली - 110001~~ । साईं बाबा मन्दिर के सामने, सिविल लाइन्स, चन्द्रपुर-442401 (महाराष्ट्र) ।	पत्रकारिता	महामंत्री
6.	श्री प्रेमशंकर साहू , एफ 12/11, सुदर्शन भवन ~~कृष्ण नगर, दिल्ली - 110051~~ । [illegible], कतारगंज, 30301	नौकरी	संगठन मंत्री
7.	श्री अनिल बारई, ई-77 ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली - 110065.	नौकरी	कोषाध्यक्ष

अभिलाषी व्यक्ति - महासभा के स्मृति पत्र के अनुसार हम हस्ताक्षरी सन् 1860 के 21वीं समितियां, पंजीयन अधिनियम/ पंजाब संशोधन अधिनियम, 1857 जिसका केन्द्र प्रशासित क्षेत्र दिल्ली में विस्तार किया गया है, के अन्तर्गत "अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा" के गठन के अभिलाषी हैं:-

8.	डा० जगन्नाथ साहू, ग्रा०पो० मोहदी (रायपुर) 493990 ~~36, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001.~~	नौकरी	संगठन मंत्री
9.	डा० एस०पी० शारदी, ~~ई-15, सी.सी.एम. कॉलोनी, प्रशान्त विहार, नई दिल्ली-5.~~ पो० गोविंद पुर, जिला नवादा (बिहार)	नौकरी	लेखा परीक्षक
10.	श्रीमती कविता किस्मतकर, 11-पार्क हाऊस, रेडियो स्टेशन के पास, मोती लाल अत्तल रोड, जयपुर-302001 (राजस्थान)	गृहस्थाश्रिनी	लेखा परीक्षक

कविता किस्मतकर